COURT FEE INDIA FIVE RUPEES — COURT FEE INDIA TEN RUPEES

(45)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. कं. / 2011 निगरानी R-854-II/2011

1. कुमेर सिंह पुत्र उमराव सिंह जाति वलाई
2. सिद्धूलाल पुत्र जगन्नाथ यादव

निवासीगण कृष्णा नगर कालोनी, सुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर ...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. शांता बाई पत्नी दुर्गाप्रसाद सोनी निवासी कृष्णा नगर कालोनी, सुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पलिका परिषद सुजालपुर .... अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2011 पारित द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण कमांक 516/ 09–10 अपील व उन्मान कुमेर सिंह आदि बनाम शांता बाई ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1– यह कि, वर्तमान प्रकरण अनावेदिका कमांक 1 शांता बाई पत्नी दुर्गाप्रसाद निवासी कृष्णा नगर सुजालपुर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस आशय का आवेदन कि आवेदक द्वारा रास्ता पर तार फेसिंग कर रास्ता नाली का पानी रोक दिया है खुलवाया जावे जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी सुजालपुर द्वारा प्रकरण कं. 56–बी–121 / 08–09 व उन्मान शांता बाइ बनाम कुमेर सिंह पर दर्ज किया गया । आवेदक को सूचना न्यायालय में उपस्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 854–दो/2011 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–02–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा गाह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 23–5–11 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । मूल प्रकरण में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथमदृष्टया इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	